

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

स0सं0 :- 17-तक0 को0 -312/2018 (Part-IV)..... 996

प्रेषक,

जय सिंह, मा0प्र0से0
सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में

सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी।

पटना, दिनांक :- 04.3.2025

विषय :- बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत असर्वेक्षित ग्राम की श्रेणी में आने वाले राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य करने के संबंध में।

प्रसंग :- भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के पत्रांक-1110, दिनांक-29.02.2024

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में स्पष्ट करना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के प्रथम चरण अर्न्तगत चयनित अंचलों के असर्वेक्षित ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किये जाने का निदेश प्रासंगिक पत्र के द्वारा निर्गत किया गया है।

वर्तमान में आपके जिले में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य हेतु निदेशालय का पत्रांक-1110, दिनांक-29.02.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

सम्यक विचारोपरान्त निदेशित किया जाता है कि आपके जिला में प्रारंभ किये गये विशेष सर्वेक्षण कार्य के उपरान्त सभी अंचलों के असर्वेक्षित ग्रामों में भी विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ किया जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त

विश्वासभाजन

(जय सिंह)

सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक : 17-तक0 को0 -312/2018 (Part-IV)..... 996 पटना, दिनांक 04.3.2025

प्रतिलिपि : सभी संबंधित अपर समाहर्ता/भूमि सुधार उप समाहर्ता/प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक : 17-तक0 को0 -312/2018 (Part-IV).....996.....पटना, दिनांक 04.3.2025
प्रतिलिपि : तीनो हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक : 17-तक0 को0 -312/2018 (Part-IV).....996.....पटना, दिनांक 04.3.2025
प्रतिलिपि : सभी संबंधित समाहर्ता/आरक्षी अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक : 17-तक0 को0 -312/2018 (Part-IV).....996.....पटना, दिनांक 04.3.2025
प्रतिलिपि : सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक : 17-तक0 को0 -312/2018 (Part-IV).....996.....पटना, दिनांक 04.3.2025
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक : 17-तक0 को0 -312/2018 (Part-IV).....996.....पटना, दिनांक 04.3.2025
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक : 17-तक0 को0 -312/2018 (Part-IV).....996.....पटना, दिनांक 04.3.2025
प्रतिलिपि : श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

स०सं० :- 17-तक० को०-312/2018 (Part-IV).....1110

प्रेषक,

जय सिंह, मा०प्र०से०
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में

बन्दोबस्त पदाधिकारी,
अररिया/अरवल/बांका/बेगूसराय/जमुई/जहानाबाद/
कटिहार/खगड़िया/किशनगंज/लखीसराय/मधेपुरा/
मुंगेर/नालंदा/पूर्णियाँ/सहरसा/शेखपुरा/शिवहर/
सीतामढ़ी/सुपौल/पश्चिम चम्पारण

पटना, दिनांक :- 29/02/2024

विषय :- बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत टोपोलेण्ड/असर्वेक्षित ग्राम की श्रेणी में आने वाले राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य करने के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध स्पष्ट कहना है कि वर्तमान समय में आपके जिले अंतर्गत वैसे ग्राम जो टोपोलेण्ड/असर्वेक्षित ग्राम की श्रेणी में आते हैं, में अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का निर्माण नहीं किया जा रहा है। जिसका मुख्य कारण यह है कि ग्रामों का विगत खतियान एवं मानचित्र उपलब्ध नहीं है अथवा केवल ग्राम सीमा निर्धारित मानचित्र/अस्पष्ट खतियान उपलब्ध है।

ज्ञातव्य हो कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम 2011 की धारा-3 के आलोक में राज्य में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ करने हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या-1574 दिनांक 01.10.2012, 188 दिनांक 03.02.2015 एवं 1973 दिनांक 03.11.2016 द्वारा बिहार राज्य के स्थानीय शहरी निकायों की स्थानीय सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर शेष समस्त भूमि का भू-सर्वेक्षण करने के लिए राज्य के सभी जिलों के सभी अंचलों को संसूचित किया गया है (अधिसूचनाओं की छायाप्रति संलग्न)। प्रथम चरण अर्न्तगत पूर्व से चयनित अंचलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है कि चयनित अंचल के टोपोलेण्ड/असर्वेक्षित श्रेणी में आने वाले राजस्व ग्रामों में भी विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य पूर्ण किया जाए।

अतः उक्त के आलोक में अपने जिला अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के प्रथम चरण अंतर्गत चयनित अंचलों के टोपोलेण्ड/असर्वेक्षित ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य अविलंब प्रारंभ किया जाय।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण
बिहार, पटना

105

ज्ञापांक : 17-तक0 को0 -312/2018 (Part-IV).....1110.....पटना, दिनांक 29/02/2024
प्रतिलिपि : सभी संबंधित अपर समाहर्ता/भूमि सुधार उप समाहर्ता/प्रभारी पदाधिकारी,
बन्दोबस्त/ सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण
29/02/2024

ज्ञापांक : 17-तक0 को0 -312/2018 (Part-IV).....1110.....पटना, दिनांक 29/02/2024
प्रतिलिपि : सभी संबंधित समाहर्ता/ आरक्षी अधीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण
29/02/2024

ज्ञापांक : 17-तक0 को0 -312/2018 (Part-IV).....1110.....पटना, दिनांक 29/02/2024
प्रतिलिपि : सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण
29/02/2024

ज्ञापांक : 17-तक0 को0 -312/2018 (Part-IV).....1110.....पटना, दिनांक 29/02/2024
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण
29/02/2024

ज्ञापांक : 17-तक0 को0 -312/2018 (Part-IV).....1110.....पटना, दिनांक 29/02/2024
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण
29/02/2024